भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/99/2019/एफ.सी./434 दिनॉक: 29.11.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण),
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Trans/22021/2016)

विषयः जनपद–मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–994/11–सी–FP /UP/Trans/22021/2016, लखनऊ, दिनांक–19.11.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–24/14–2–2019–800(38)2019, दिनांक–09.05.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–मीरजापुर में 132 के0वी0 मीरजापुर–जिगना द्वितीय परिपथ लीलो के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.2322 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्न विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (0.2322 x 2= 0.4644 ha.) 05 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में e-portal द्वारा जमा की जाएगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जाएगी।
7. पारेषण लाईन के निर्माण हेतु किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10. परियोजना से संबंधित समान ढुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।

11. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 27 मीटर तक सीमित रहेगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।

13. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का पूर्ण एवं संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति जारी की जाएगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, पथरहिया रोड, मीरजापुर।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश प्रत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}